# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : अशोक कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 326/2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2024/526

| प्रार्थीगण | | विप्रार्थी |
|---|---|---|
| मूलाराम पुत्र जयरूपाराम<br>जाति जाट निवासी गुगड़ी<br>तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा | | राजस्थान सरकार जरिए<br>तहसीलदार पचपदरा |

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत,प्रार्थी अधिवक्ता

2.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार उपस्थित

:निर्णयः

दिनांक– 16.12.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी मूलाराम पुत्र जयरूपाराम जाति जाट निवासी गुगड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 792/82 क्षेत्रफल 0.4005 हैक्टेयर मौजा चिरडाणी तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी का खसरा संख्या 311/73 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टेयर भूमि में से 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल हैं।

03. तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी का खसरा संख्या 311/73 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टेयर मौजा चिरडाणी में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 792/82 क्षेत्रफल 0.4005 हैक्टेयर तक बंरग पीला चौड़ा रास्ता 30 फिट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है। अतः तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं।

04. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है,तो आपति नहीं है।

05. हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 311/73 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टेयर में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

06. ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 792/82 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता मुख्य सड़क कटाण रास्ता (ख.स.310/73 गै.मु.सड़क) से राजकीय भूमि (ख.स.311/73 किस्म गै.मु.नहर) व ख.स.793/82 (समर्पणशुदा) भूमि मे से रास्ता उपलब्ध है। खसरा संख्या 793/82 प्रार्थी व अन्य खातेदारान की खातेदारी भूमि मे से आवागमन हेतु समर्पित भूमि है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार खसरा संख्या 311/73 मे से रास्ता आवेदित किया गया है,जो 30 फीट चौड़ाई के आधार पर 0.0184 हैक्टयर भूमि रास्ते के उपयोग में रहती जिन्हे रास्ता हेतु प्रस्तावित की है। उक्त खसरा संख्या 311/73 की भूमि कि किस्म राजस्व रेकर्ड अनुसार गै.मु.नहर है,लेकिन मौके पर नहर नहीं है तथा न ही सिंचाई इत्यादि का उपयोग होता है। उक्त प्रस्तावित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मय समर्पणशुदा भूमि से निकटतम आवागमन हेतु उपलब्ध है। अन्य वैकलिप्क रास्ता खसरा संख्या 81 मे से गुजरते हुए पूर्व की ओर कटान रास्ते तक है,परन्तु प्रार्थी द्वारा पूर्व मे समर्पण व सुगम वैकल्पिक रास्ते की दृष्टि से आवेदित प्रार्थना पत्र के संलग्न परिशिष्ट अ प्रस्तावित किया गया है,जो प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त है।

07. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

08. चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी खेत खसरा संख्या 792/82 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की चौडाई 30 फीट के आधार पर 0.0184 हैक्टयर बनता हैं,जो खसरा संख्या 311/73 में होकर गुजरता है तथा प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प बताया है,इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित रास्ता की किस्म गै.मु.नहर है,लेकिन मौके पर नहर नहीं है तथा न ही सिंचाई इत्यादि का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में न ही राजहित के प्रभावित होने का उल्लेख किया है। उक्त विवेचन के आधार पर विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शित बरंग लाल अधिक उपयुक्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता हैं।

09. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है,अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52) राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं,जिसके अनुसारः–

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचन के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकार लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता लाल क्षेत्रफल 0.0184 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर–16,59,000 रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगुनी देय प्रतिफल राशि बनती है,जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

**आदेश :–**

**उपर्युक्त** विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा ग्राम चिरडाणी तहसील पचपदरा प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 792/82 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 311/73 क्षेत्रफल 0.0379 हैक्टेयर में से संलग्न नक्शानुसार बरंग लाल 30 फीट चौड़ाई के आधार पर रकबा 0.0184 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का वर्तमान डी.एल.सी. दर–16,59,000/–प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रकबा 0.0184 हैक्टयर भूमि की नियमानुसार प्रतिकर दुगुनी राशि की गणना करते हुए राशि वसूल कर राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाए जाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में प्रस्तावित रास्ता पर यदि किसी भी पुल निर्माण हेतु आवश्यकता होने पर पूल निर्माण होता है,तो प्रार्थी खर्चो वहन करने के लिए पाबंद होगा। पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
16/12/2024